न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/134/2023	2023/516	09.11.2023	30.10.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. शालू सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टैण्ड अलवर, तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 06 भरे एवं 01 खाली कंपनी बीपीसीएल 06 एवं आईओसीएल 01 को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

—विभागीय प्रतिनिधि

1. श्री विनोद जुनेजा (प्रवर्तन अधिकारी,अलवर)

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 6—भरे एवं 1—खाली कंपनी बीपीसीएल 6 एवं आईओसीएल—1 को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6—ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 10.11.2023 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार में विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बौयलाः प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु फर्म मै० हनुमान पवित्र ढाबा, अग्रवाल धर्माशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर पर पहुंचे। मौके पर श्री शालू सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर उपस्थित मिले। फर्म मै० हनुमान पवित्र ढाबा, अग्रवाल धर्माशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 6—भरे एवं 1—खाली कंपनी बीपीसीएल 6 एवं आईओसीएल—1 का मिला, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र0 सं0	सिलेण्डर का एस.आर. क्रमांक	सील/अनसीलल्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एल.पी.जी.का उपदर्शित/मानक भार/क्षमता (किग्रा में)	खाली सिलेण्डर उपदर्शित भार/टेयर वेट(किग्रा में)	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपी.जी(किग्रा में)	शुद्ध गैस का भार (किग्रा में) (6—5)
01.	02	03	04	05	06	07
1	11356	आईओसीएल	14.2	15.5	28.5	13.0
2	762321	बीपीसीएल	14.2	15.7	15.7	nill
3	255177	बीपीसीएल	14.2	16.6	21.6	5.0
4	155189	बीपीसीएल	14.2	15.6	19.6	4.0
5	607586	बीपीसीएल	14.2	15.8	29.8	14.0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

6	770850	बीपीसीएल	14.2	15.6	28.6	13.0
7	289591	बीपीसीएल	14.2	15.5	28.5	13.0

श्री शालू सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मै० हनुमान पवित्र ढाबा, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 6—भरे एवं 1—खाली कंपनी बीपीसीएल 6 एवं आईओसीएल—1 को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 6—भरे एवं 1—खाली कंपनी बीपीसीएल—6 एवं आईओसीएल—1 को मै० मॉडर्न गैस एजेंसी, मालवीय नगर, अलवर के प्रतिनिधि श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री हरिकिशन मीना के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 6—भरे एवं 1—खाली कंपनी बीपीसीएल—6 एवं आईओसीएल—1 को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार मौके पर फर्म मै० हनुमान पवित्र ढाबा, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 6—भरे एवं 1—खाली कंपनी बीपीसीएल 6 एवं आईओसीएल—1 का मिला। उक्त के सबंध में श्री शालू सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मै० हनुमान पवित्र ढाबा, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टेण्ड, अलवर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6—ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 6—भरे एवं 1—खाली कंपनी बीपीसीएल 6 एवं आईओसीएल—1 को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) 6—भरे एवं 1—खाली कंपनी बीपीसीएल 6 एवं आईओसीएल—1 सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अलवर (राज0)

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)